रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062024-254824
CG-DL-E-20062024-254824

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/ज्येष्ठ 30, 1946
No. 314] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2024

सा.का.नि. 337(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा।

   (2) ये, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में, अनुसूची में भाग-V, में-

(i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, पैराग्राफ (ख) में, उप-पैराग्राफ (xiv), तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित तदनुरूप प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत:-

•-• https://www.staffnews.in •-•

	"(xiv) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	*अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन।*	*(i) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन;*	*सभी*
	(क) समूह 'ख' राजपत्रित;	*रक्षा और विकास स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं के प्रमुख।*	*(ii) महानिदेशक (मानव संसाधन);*	*(i) से (iv)*
	(ख) स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं में समूह 'ख' (अराजपत्रित);	*कार्मिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक।*	*(i) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन;* *(ii) रक्षा और विकास स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं के प्रमुख;*	*सभी* *(i) से (iv)*
	(ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में समूह 'ख' (अराजपत्रित)।		*(i) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन;* *(ii) महानिदेशक (मानव संसाधन)।*	*सभी* *(i) से (iv)";*

(ii) क्रम सं. 2 के समक्ष, कॉलम (2) में, पैराग्राफ (बी) में, उप-पैराग्राफ (xiv) तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित तदनुरूप प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत :-

	"(xiv) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन			
	(क) स्थापनाओं अथवा प्रयोगशालाओं में समूह 'ग' पद;	*अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं अथवा प्रयोगशालाओं के प्रमुख।*	*अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं अथवा प्रयोगशालाओं के प्रमुख;*	*सभी*
	(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालयों में समूह 'ग' पद।	*कार्मिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालयों के निदेशक।*	*महानिदेशक (मानव संसाधन)।*	*सभी"*

[फा.सं. 11012/9/2022-कार्मिक नीति (ए-III)]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

नोट : प्रमुख नियम, दिनांक 20 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना सं. सां.आ. 3703 *के तहत* भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 10 जनवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 18 (असाधारण) *के तहत* इनमें अंतिम बार संशोधन किया गया था, जो दिनांक 10 जनवरी, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

•-• https://www.staffnews.in •-•

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2024

G.S.R.. 337(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in the Schedule, in PART-V,-

(i) against serial number 1, in column (2), in paragraph (B), for sub-paragraph (xiv), and the corresponding entries relating thereto in column (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

	"(xiv) Defence Research and Development Organisation			
	(a) Group 'B' Gazetted;	*Chairman, Defence Research and Development Organisation.*	*(i) Chairman, Defence Research and Development Organisation;*	*All*
			(ii) Director General (Human Resource);	*(i) to (iv)*
	(b) Group 'B' (Non-Gazetted) at Establishments or Laboratories;	*Head of Research and Development Establishments or Laboratories.*	*(i) Chairman, Defence Research and Development Organisation;*	*All*
			(ii) Head of Research and Development Establishments or Laboratories;	*(i) to (iv)*
	(c) Group 'B' (Non-Gazetted) at Headquarters of Defence Research and Development Organisation.	*Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation.*	*(i) Chairman, Defence Research and Development Organisation;*	*All*
			(ii) Director General (Human Resource).	*(i) to (iv)";*

(ii) against serial number 2, in column (2), in paragraph (B), for sub-paragraph (xiv) and the corresponding entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

	"(xiv) Defence Research and Development Organisation			
	(a) Group 'C' posts at Establishments or Laboratories;	*Head of Research and Development Establishments or Laboratories.*	*Head of Research and Development Establishments or Laboratories.*	*All*

	(b) Group 'C' posts at Defence Research and Development Organisation Headquarters.	*Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation Headquarters.*	*Director General (Human Resource).*	*All".*

[F. No. 11012/9/2022 –Pers. Policy(A-III)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 3703, dated the 20th November, 1965 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 18(E) dated the 10th January, 2023 published in the Gazette of India dated the 10th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.06.20 21:11:07 +05'30'

•-• https://www.staffnews.in •-•